न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

प्रा0 पत्र संख्या 274/2022

मंजू देवी पत्नि मोहनलाल जाति जाट निवासीनी ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर

–आवेदिका–

बनाम

1. तहसीलदार, सीकर
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कटराथल तहसील व जिला सीकर

– अनावेदकगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते राजस्व अभिलेख में शुद्वी बाबत

उपस्थित – वकील आवेदिका– श्री नोपाराम जांगिड़

वकील अनावेदकगण – --------

आदेश

दिनांक : 08.08.2023

वकील आवेदिका ने एक आवेदन पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि आवेदिका के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1404/222, 1466/223, 224 एवं 282 किता 4 कुल रकबा 2.4100 है0 वाके ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमियों में से केवल खसरा नम्बर 282 रकबा 0.7500 है0 के नक्शा दुरूस्ती बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन के साथ भूमि खसरा नम्बर 282 व 224 का नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमे खसरा नम्बर 282 की पूर्वी सीमा पर डोटेड लाईन से रास्ता ए से बी दर्शित किया गया है जो गलत दर्ज किया गया है जबकि खसरा नम्बर 282 से 21 फिट चौड़ा रास्ता क से ख मौके पर मौजूद है तथा चालू है तथा उस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग आवेदिका एवं अन्य लोग करते चले आ रहे हैं। नक्शा में रास्ता क से ख अंकित नहीं है तथा पूर्वी सीमा पर डोटेड लाईन से रास्ता गलत अंकित है। उक्त गलत अंकन से आवेदिका के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । इसलिये क से ख जो रास्ता है को नक्शा ट्रेस में दर्शा कर एवं ए से बी को हटाये जाने हेतु दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर